आपूर्ति का विशेष नियम एवं शर्तें

(एसपीओ/ डीपीओ के लिए निविदा/आदेश)

1. आपूर्ति के ये विशेष नियम एवं शर्तें के अतिरिक्त हैं (इसमें उल्लिखित सीमा तक पहुंचाना) आपूर्ति के मानक नियम एवं शर्तें (स्टैक्स) पंजीकृत विक्रेताओं को भेजेंगे जो विक्रेताओं की अनुमोदित सूची में पंजीकृत होंगे और सभी आपूर्तिकर्ताओं/ विक्रेताओं को स्टॉक क्रय/ प्रत्यक्ष क्रय मदों के लिए सभी को लागू होंगे जो सीमित निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत है।

2. जब तक और अन्य रूप में विनिर्दिष्ट हो, प्रस्ताव एकल बोली प्रणाली में एक उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बड़े अक्षरों में निविदा संख्या और बंद होने की तिथि लिखकर पेश करना होगा।

3. प्रस्ताव सही रूप में मानक विनिर्देशन, आरेखन निर्माण, अथवा निविदा जांच में निर्दिष्ट शर्त के अनुसार होगा और इन शर्तों के विचलन में कोई प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है।

4. कोटेट प्राइज़/ दर (एमडीएल को मुफ्त सुपुर्दगी और पूर्व कार्य के आधार पर) प्रस्ताव / निविदा में इकाई के लिए पुष्टि, विनिर्देशन/ निविदा में उल्लिखित शर्तों की अभिपुष्टि करते हुए शीघ्रतम / सर्वोत्तम सुपुर्दगी अवधि दर्शाते हुए, स्पष्ट रूप से पठनीय हाथ से लिखित/ टाईप किया हुआ फर्म के लेटरहेड पर एवं शब्दों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित अनुबंधकर्ता/ विक्रेता का प्रतिनिधित्व करते हुए कोट करना चाहिए।

5. प्रस्ताव पिलेरंग के निविदा बॉक्स में जमा करना होगा जो मुगल हाउस दक्षिण यार्ड के दूसरे महले पर 1400 बजे निर्धारित तिथि और बंद होने की तिथि से पहले करना होगा। आपूर्तिकर्ता / विक्रेता जो कूरियर ईमेल फ़ैक्स टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से पेश करना चाहते हैं उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्ताव सामग्री समूह में निर्धारित तिथि एवं समय से पहले पँहुचे।

6. जब तक अथवा अन्य रूप में लिखित रूप से विनिर्दिष्ट/ सूचित न किया गया हो निविदा कि तिथि किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जाएगी। निविदा खोलने की तिथि न तो बढ़ाई जाएगी और न तो विलंबित या रोकना/ स्थगित होगी। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों को किसी एक अथवा अनेककोण से प्राप्त होने पर अथवा उपरोक्त माध्यम के अलावा प्राप्त होने पर निरस्त करने योग्य हैं और उनपर विचार नहीं किया जाएगा।

7. प्रस्ताव केवल उस अनुबंधकर्ता/ विक्रेता से पेश किया जाएगा जिसे निविदा जांच भेजी गई है। आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता क्रेता को अग्रिम रूप में सूचित करेंगे जो निविदा बंद होने की निर्धारित तिथि पर या पहले की यदि वे किसी भी कारण से निविदा में शामिल होने में असमर्थ हैं। इसके अनुपालन में असफल होने की कार्यवाई को गंभीरता से विचार किया जाएगा और क्रमिक रूप से

तीन बार आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता की ओर से अफसल होने पर वे भविष्य के निविदा जांच के लिए डिसक्वालिफ़ाई/ डीबार हो जाएंगे और अथवा अनुमोदित पंजीकृत विक्रेता की सूची से डिलिस्ट कर दिए जाएंगे।

8. आपूर्ति के लिए मदों का नमूना जब कभी मांगा जाएगा तो उसे सामग्री समूह को आगे की कार्रवाई के लिए निर्धारित तिथि से पहले भेजना होगा। बिना आवश्यक नमूना के प्राप्त प्रस्ताव निरस्त करने योग्य होंगे। विनिर्देशन/ शर्त/ आरेखन/ नमूना में कोई परिवर्तन प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से निर्धारित तालिका में हाईलाइट होना चाहिए। बोलीकर्ता द्वारा जानबूझकर छलने का कोई प्रयास सिड्डुल के अलावा देने पर बोली स्वयं निरस्त हो जाएगी।

9. क्रय अनुभाग, सामाग्री समूह को अधिकार है कि वे अपने विवेक पर किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार या सभी प्रस्तावों को आंशिक रूप से या पूर्णरूप से अथवा निविदा को पूर्ण रूप से बिना कोई कारण बताए निरस्त कर सकते हैं।

10. प्रस्तावित दर एमडीएल स्वीकृति के लिए अथवा निविदा में निर्दिष्ट के अनुसार नियत निविदा तिथि से 90 दिन के लिए वैध होगा। निविदा दर सम्पूर्ण आदेशित मात्रा की एमडीएल में सुपुर्दगी होने तक स्थिर और निश्चित रहेगा।

11. व्यय-भार निम्नलिखित शीर्षक के सामने जैसे - सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, केंद्र/राज्य विक्री कर, पैकिंग और फोर्वडिंग, भाड़ा, बीमा, चुंगी और अथवा अन्य कोई वैधानिक कर/ देयताएँ जैसाकि लागू हो प्रस्ताव में स्पष्ट, पृथक, विशिष्ट रूप से सूचित हो और यह मूल दर में शामिल न हो। प्रपत्र 31 की संभावना स्पष्ट रूप से बताई गई हो।

12. जबतक अथवा अन्यथा विशिष्ट प्रस्ताव के लिए एक्स-स्टॉक सुपुर्दगी को अन्यों की तुलना में वरीयता दी जाएगी। निविदित मात्रा की सुपुर्दगी स्थिति स्पष्ट रूप से सूचित होनी चाहिए।

13. भुगतान शर्तें पावती और आदेश के सम्पूर्ण मात्र की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर करने पर होना चाहिए साथ ही विशिष्ट दस्तावेजों/ परीक्षा प्रमाणपत्र इत्यादि एमडीएलको भेजना चाहिए। कोई आंशिक सुपुर्दगी स्वीकार नहीं की जाएगी।

14. आदेशित मात्रा, निर्दिष्ट सुपुर्दगी अवधि/ विस्तारित सुपुर्दगी अवधि के भीतर आपसी सहमति से क्रय आदेश के अनुसार पूर्ण रूप से सुपुर्द होनी चाहिए। निश्चित/ संशोधित सुपुर्दगी तिथि में आदेश के कार्यान्वयन न कर पाने को गंभीर रूप से देखा जाएगा और आदेश बिना सूचित किए रद्द होने की संभावना होगी एवं आदेशित सामग्री वैकल्पिक स्वीकृत स्रोत से आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता के खर्च पर जिसे मूल आदेश दिया गया था, से प्राप्त किया जाएगा।

15. सभी किए गए सप्लाई निरीक्षण एजेंसी/ एमडीएल निरीक्षण और अनुमोदन अथवा जैसा निविदा में निर्दिष्ट हो, के अधीन होगा।

16. परीक्षा प्रमाणपत्र/ दस्तावेजीकरण: सप्लाईज उचित भौतिक/ रासायनिक संयोजन परीक्षा प्रमाणपत्र, शॉप ट्राइल/ परीक्षा प्रमाणपत्र और अथवा अन्य कोई परीक्षा प्रमाणपत्र और प्रेषण के लिए संबन्धित निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी निरीक्षण रिलीज नोट संलग्न होना चाहिए। जमा किए गए दस्तावेज़ में आदेश संख्या और तिथि हो और उसमें विवरण जैसे हीट संख्या; कास्ट संख्या; निर्माण वर्ष, शेल्फ लाईफ/ समाप्ति तिथि इत्यादि जो आदेशानुसार सप्लाई किए गए सामग्री के अनुकूल हो।

17. आपूर्ति की गई सामग्री आपूर्ति तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्माता दोष रहित के समक्ष गारंटी होनी चाहिए। दोषपूर्ण सामग्री यदि पाई जाती है यदि कोई हो, तो निर्माता/ आपूतिकर्ता द्वारा नि:शुल्क बदली जाएगी।

18. उपकरण और सामग्री का निरीक्षण और अनुमोदन निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा करने उर निर्माता /आपूर्तिकर्ता को सामग्री गारंटी की जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलाता है। यह निर्माता /आपूर्तिकर्ता की प्रमुख जिम्मेदारी है आपूर्ति किये गये सामग्री की गुणवत्ता/ मात्रा का निरीक्षण और सामग्री जो पूर्ण रूप से निरीक्षण, अनुमोदित और निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र दिया गया हो, को भेजने के साथ ही आवश्यक परीक्षा प्रमाणपत्र/ निरीक्षण टिप्पणी इत्यादि से करना सुनिश्चित करें।

19. परीवेक्षण, बचाव और बलैकिंग ऑफ ओपनिंग: पाइप्स और पाइप फिटिंग्स, वल्व्स अथवा कोई दूसरा एस उत्पाद जिसके दोनों छोर खुले हों उनके दोनों चोर उचित रूप से कैपिंग द्वारा बंद करना और वुडेन पैलेटस में टैक्ड करना जिससे कि बरसाती पानी धूल/ डस्ट इत्यादि से रोकना संभव हों। इलेक्ट्रोनिक/ इलेक्ट्रिकल मदों/ स्पेयर्स/ नाजुक समग्रियों/ उपकरों को उचित कार्टून/ पोलिथीन बैग में सही ढंग से पहचान टैग / लेवल लगाकर भेजें। सभी सामग्री (हार्डवेयर/ पाइप्स, मेटल पार्ट्स) जिनमें झरण/ जंग लगने का संदेह हो, तो उन्हें रक्षक कोटिंग का उपयोग करते हुए उचित रूप से बचाव करना होगा।

20. अस्वीकृत सामग्री, यदि कोई हो, तो उसे आपूतिकर्ता द्वारा तत्काल अपने खर्चे पर अपने श्रमिक/ वाहन जैसा केस हो, में हटा लेना चाहिए। अस्वीकृत सामग्री को एक सप्ताह के भीतर आपूर्तिकर्ता को सूचित अथवा अस्वीकृत सामग्री को उठाने/ हटाने में असफल होने पर अस्वीकृत सामग्री को बिना सूचना दिए निपटान कर सकते हैं और साथ ही ऐसे सामग्री को भंडार में रखने के लिए भाड़ा भी वसूल कर सकता है।

21. निरस्त की गई सामग्री आपूर्तिकर्ता को एमडीएल के सामान प्राप्ति अनुभाग द्वारा जारी ''मूल निरस्त नोट'' प्रस्तुत करने पर ही भेजी जाएगी।

22. आदेश प्राप्त सामग्री को दक्षिण यार्ड - एनेक्स के सामान प्राप्ति अनुभाग में सुबह 08:00 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से 15:30 बजे तक सभी कार्यदिवस में आपूर्ति की जाएगी।

23. बाहरी आपूर्तिकर्ताओं को 48 घंटे पहले सामान प्राप्ति अनुभाग को अग्रिम सप्लाई तिथि की सूचना देनी होगी किन्तु यह सामान्य कार्य घंटे से अधिक न हो। एमडीएल ट्रक/ ट्रेलर/ वाहन और आपूर्तिकर्ता के श्रमिकों के लिए सामग्री उतारना सामान्य कार्य घंटे से अधिक होने पर टक डिटेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

24. बीमा: अतिरिक्त कार्य / अतिरिक्त परिवहनकर्ता के गोदाम अथवा रेलवे गोडाउन प्रस्तावों के मामले में अनुबंधकर्ता /आपूर्तिकर्ता सामग्री का विवरण प्रेषण ब्योरा सहित और उनका मूल्य क्रेता के बीमा कम्पनी को यानि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जनरल बीमा विभाग, वाणिज्य केंद्र पहला महला ताड़देव मुंबई 400034, फैक्स नम्बर 91-022-4948559 को क्रेता की सलाह के अंतर्गत तत्काल प्रेषण के बाद भेजना होगा. बीमा शुल्क क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।

25. परिसमापन क्षति: विलम्ब से सामग्री प्राप्ति/ के सुपुर्दगी में देरी सामग्री उपकरण आदि / के लिए परिसमापन क्षति वसूल किया जाएगा। जब तक कि अन्य रूप में जो क्रेता के निर्धारित सुपुर्दगी अवधि से अधिक हो वह आदेश मूल्य का 0.5% प्रति सप्ताह विलंब के लिए अथवा उसके अंश के जो मूल्य आदेश का 5% अधिकतम की शर्त पर होगा।

26. गारंटी/ वारंटी: उपकरण /सामग्री की गारंटी संतोषप्रद कार्य निष्पादन के लिए 12 माह की अवधि के लिए संतोषजनक कमीशनिंग की तिथि से अथवा प्राप्ति की तिथि से 18 माह के भीतर जो भी पहले समाप्त हो किसी भी अनुचित रूपांकन, दोषपूर्ण सामग्री और दोषपूर्ण कार्य कुशलता के साथ हो उस अवधि के दौरान सभी दोष जो अनुचित रूपांकन, दोषपूर्ण सामग्री, दोष पूर्ण कार्य कुशलता के समक्ष देनी होगी।

27. महाप्रबंधक (रूपांकन) की अध्यक्षता में एक जनशिकायत एकक के स्थापना कंपनी में की गई है। सभी सामान्य लोग अपनी शिकायत अथवा ग्रीवेंसेज के निवारण के लिए अध्यक्ष महोदय से बुधवार को सवेरे 10.00 बजे से 12.30 बजे के बीच उनके कार्यालय तीसरा महला रूपांकन कम्पलेक्स भवन में संपर्क कर सकते हैं अथवा अपनी शिकायत अथवा ग्रीवांसेस उनको लिखित रूप में निवारण के लिए भेज सकते हैं। उनका टेलीफोन न. 022-2373 8152 है।

SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS OF SUPPLY
(Tender / Order For SPO / DPO)

1. These Specific Terms and Conditions of Supply are in addition to (overriding to the extent specified herein) the Standard Terms and Conditions of Supply (STACS) forwarded to the Registered Vendors on Approved List of Vendors and are applicable to all Suppliers / Vendors for Stock Purchase / Direct Purchase Items under Limited Tendering process.

2. Unless or otherwise specified, the offers shall be submitted in Single Bid system in a properly sealed envelope clearly superscribing the Tender Number and due date for closing.

3. The offer shall be strictly in accordance with the Standards Specification, Manufacturing Drawing, approved sample and or requirements specified in the Tender Enquiry and any offers in deviation to these requirements are liable for rejection.

4. The quoted price / rate (for free delivery to MDL and or ex-works basis), shall conform to the units on offer / tender conforming to the specification/s / requirements stated in the tender indicating the earliest / best delivery period, legibly written in ink / typewritten on Firm's letter head both in figures and words duly authenticated by the Competent Authority representing the Supplier / Vendor.

5. The offers shall be deposited in the Yellow coloured Tender Box kept on II Floor, Mogul House, South Yard by 14.00 Hrs. on or before the due date and before closing time. Supplier / Vendor desirous of submitting offers through courier, E-mail, Fax, telegram etc. shall ensure that the offers reach Materials Group before the due date and time stipulated.

6. Unless or otherwise specified / communicated in writing, the due date of Tender shall not be altered under any circumstances. Tender opening will also be neither delayed nor withheld / postponed. Offers received after due date and time stipulated by any one or more of the above modes are liable for rejection / not considered.

7. Offers shall be submitted by the same Supplier / Vendor to whom the Tender Enquiry has been referred to. The Supplier / Vendor shall inform the Purchaser in advance, on or before the due date for tender closing, in case he is unable to participate in the tender for whatsoever reason. Failure to comply with this will be viewed seriously and consecutive three failures on the part of Supplier / Vendor to do so is liable for disqualification / debarring of the Supplier / Vendor from all future tender enquiries and or delisting from the list of 'Approved Registered Vendors.'

8. Samples of Items on supply, whenever called for, are to be forwarded to Materials Group for further processing well before the due date. Offers received without requisite samples are liable for rejection. Any deviations from the specifications / requirements / drawings / samples shall be clearly highlighted in the prescribed schedule in the offer. Any willful attempt by the bidder to camouflage the deviations by giving them in a covering letter or in any other document other than the prescribed schedule may render the bid itself non- responsive.

9. Purchase Section, Materials Group reserves the right at its own discretion to accept or reject any or all offers in part or in full or withdraw the tender in toto without assigning any reasons whatsoever.

10. The rates offered shall be valid for 90 days from the due date of tender for MDL's acceptance or as specified in the tender. The quoted rates shall be firm and fixed until delivery of the entire ordered quantity to MDL.

11. The incidence against each of the following heads namely: - Customs, Excise Duty, Central / State Sales Tax, Packing & Forwarding, Freight, Insurance, Octroi and or any other Statutory Levies / Duties, as applicable shall be clearly, separately and specifically indicated in the offer and are not to be included in the basic rates. Possibility of issue of Form 31 shall be clearly spelt out.
12. 12. Unless or otherwise specified offers for ex-stock delivery are given preference over the others. Delivery position of the tendered quantity shall be clearly indicated.

13. Payment terms shall be within 45 days from the date of receipt and acceptance of the entire quantity on order alongwith specified documentation / Test Certificates etc. in MDL. No part supplies shall be entertained.

14. The ordered quantity shall be delivered in full within the stipulated delivery period / extended delivery period mutually agreed to as per Purchase Order. Failure to execute the Order by the scheduled / amended delivery period will be viewed seriously and the subject Order is liable to be cancelled without notice and the ordered materials will be procured from alternative acceptable source(s) at the risk and cost of the Supplier / Vendor on whom the original order was placed.

15. All supplies made shall be subject to Inspection Agency / MDL's inspection and approval or as specified in the tender.

16. Test Certificate / Documentation: The supplies shall accompany relevant Physical / Chemical Composition Test Certificates, Shop Trial / Test Certificates and or any other Test Certificates and Inspection Release Note for despatch issued by concerned Inspection Authorities. The documents submitted shall bear Order Number and date and shall indicate details such as Heat No., Cast No., Year of Manufacture, shelf-life / expiry period etc. relevant to the products supplied as per the Order.

17. Material supplied shall be guaranteed against manufacturing defects for a period of three years from the date of supply. Defective material noticed, if any, will have to be replaced by the Manufacturer / Supplier free of cost.

18. Inspection and approval of the material by the Inspecting Authority/ies does not absolve the Manufacturer / Supplier of the responsibility of guarantee for the material. It shall be the responsibility of the Manufacturer / Supplier to ensure that the Material is inspected for quantity /quality and also to ensure that only such goods as have been duly inspected, approved and certified by the Inspecting Authority are dispatched along with necessary Test Certificate / Inspection Note etc.

19. Preservation, Protection and blanking of openings: Pipes and pipes fittings, valves or any other such product/s having both ends open shall be suitably blanked by capping at both ends and tacked in wooden pallets to prevent damage / entry of rain water, dirt / dust etc. Electronic / Electrical items / spares / fragile items / components shall be packed in suitable cartons / polythene bags with proper identification tags / labels. All items (hardware / pipes, metal parts) susceptible to corrosion / rusting shall be suitably protected by applying a protective coating.

20. The rejected materials, if any, shall have to be promptly removed by the supplier at his own expenses with his labour / transport as the case may be. Failure for lifting / removing rejected material within one week's time from the time of

rejecting the material and intimation to the supplier, will be liable for disposal of the rejected material without notice and also for recovery of ground rent for storage of such material.

21. The rejected material shall be returned to the supplier only on production of "ORIGINAL REJECTION NOTE" issued by MDL's Goods Receiving Section.

22. The ordered material shall be supplied to Goods Receiving Section (GRS) at South Yard - Annexe between 08.00 Hrs. to 11.30 Hrs. & 12.30 Hrs. to 15.30 Hrs. on all working days.

23. Outstation suppliers shall intimate Goods Receiving Section 48 hours in advance of the supply date, but not beyond the normal working time. MDL shall not be liable for detention of truck / trailor / vehicle and supplier's manpower for unloading material beyond normal working hours.

24. Insurance: In case of Ex-works / Ex-Transporter's warehouse or Railway godown offers, the Supplier / Vendor shall give details of materials with despatch particulars and their value to Purchaser's Insurance Company i.e. New India Assurance Company Limited, General Insurance Department, Commerce Centre, First Floor, Tardeo, Mumbai - 400 034, under advice to Purchaser immediately after the despatch/es. The Insurance Charges will be borne by Purchaser.

25. Liquidated Damages: Liquidated Damages shall be levied for the delay in late receipts / delivery of the materials / equipment etc. to Purchaser beyond the stipulated delivery period @ 0.5% of value of the order per week of delay or part thereof, subject to a maximum of 5% of the basic order value.

26. Guarantee / Warranty: The equipment / material shall be guaranteed / warranteed for satisfactory performance for the period of 12 months from the date of satisfactory commissioning or 18 months from the date of receipt, whichever expires later, against improper design, defective material and faulty workmanship.

27. A Public Grievance Cell headed by General Manager (Design) has been set up in the Company. Members of public having complaints or grievances are advised to contact him on Wednesday between 10.00 hours and 12.30 hours in his office on 3rd floor, Design Complex Building or send their complaints / grievances to him in writing for redressal. His Telephone No. is 373 8152.

Gns/18.12.2001